



उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(डीप्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

14 - लखनऊ ज़िला, साहस्रनगर, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(संख्या-220-पै0एवआर0-28 / पाकालि / 12-108-पेशन-31 / 90)

पत्रांक-220-पै0एवआर0-28 / पाकालि / 12-108-पेशन-31 / 90, दिनांक : 07 फरवरी, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एवं वितरण कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई 2011 से महंगाई राहत की लागू दरें।

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-2041-पै0एवआर0-28/पाकालि / 11-108-पी-31 / 90, दिनांक 28.07.2011 जिसके द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत दिनांक 01 जनवरी, 2011 से 51 प्रतिशत स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन पर कारपोरेशन के समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जुलाई 2011 से महंगाई राहत की 7 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.07.2011 से 7 प्रतिशत की उपरोक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 51 प्रतिशत की दर बढ़कर 58 प्रतिशत हो जायेगी।
2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।
3. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्ल्यूसी0/राविप-आ०स०-19-14 (23) एफ-85, दिनांक 16.06.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेशेम भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त प्रस्तर 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
4. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्त एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक


संख्या-220(1) पै0एण्डआर0/पाकालि/2012, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।


क्रमश....2.....

माई कम्प्यूटर/डी/बैक आप माई डाक्यूमेण्ट/पेशन/lalsir


1/2/2012

4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों/ट्रांस्को।
6. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों/ट्रांस्को।
9. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पैशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
12. अध्यक्ष, विद्युत पैशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर आपर्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पैशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
14. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस-।।, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष स0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

22
22


7/2/2012

अज्ञा से

(रज्जन लाल) **रमेश**
अपर सचिव (अराजपत्रित)